Australian Government
Department of Agriculture and Water Resources

Hindi

जून 2016

दीवाली या प्रकाश-पर्व

जैव-सुरक्षा

जैव-सुरक्षा सम्बंधी महत्वपूर्ण जानकारी

विदेशों से आने वाली खाद्य वस्तुओं, पौध-सामग्रियों एवं जीव-जंतुओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के कुछ अत्यंत हानिकारक कीटाणु और रोग दाख़िल हो सकते हैं। इनसे हमारी मूल्यवान कृषि, पर्यटन उद्योग और अनूठे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है।

देश या विदेश में – ऑस्ट्रेलिया की स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद खाद्य-आपूर्ति को बनाए रखने में कृषि एवं जल संसाधन विभाग राज्य एवं प्रादेशिक सरकारों, उद्योग और समुदाय के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑस्ट्रेलिया की जैव-सुरक्षा प्रणाली देश के अन्दर अवांछित कीटाणुओं और रोगों के दाख़िल होने के जोखिम को कम करके मानव, जीव-जंतु एवं पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। सुदृढ़ जैव-सुरक्षा प्रणाली का लाभ हर किसी को मिलता है, इसलिए इसमें हर किसी को भूमिका निभानी होती है।

ऑस्ट्रेलिया में जैव-सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण सामग्रियों का प्रवेश हम कैसे रोकते हैं

जैव-सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरी वस्तुओं का मूल्यांकन कृषि एवं जल संसाधन विभाग के जैव-सुरक्षा अधिकारियों द्वारा एक्सरे, खोजी कुत्तों और मैनुअल निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है। ऐसा कोई भी पैकेज या सामान जिसमें जैव-सुरक्षा जोखिम वाली सामग्री हो सकती है, जैव-सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खोला और उसका निरीक्षण किया जाता है।

दीवाली के वे उपहार जिनसे जैव-सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकता है

- बरफी, रसमलाई, रसगुल्ला और पेड़ा जैसी मिठाइयां
- दुग्ध-उत्पाद
- ताजे और सूखे फल
- कच्ची गिरियां (नट्स), बीज और जड़ी-बूटियां
- फूल और पौध-सामग्री।

दीवाली के वे उपहार जिन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने की अनुमति है

- कृत्रिम फूल
- फैब्रिक, सोने या चांदी के बीड्स और सिक्के
- निजीकृत फोटो इत्यादि।

ऑस्ट्रेलिया में दीवाली के उपहार लाना या डाक से भेजना

यदि आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं और अपने साथ दीवाली के उपहार ला रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपके आगमन से पूर्व आपको एक आगमन यात्री कार्ड (इनकमिंग पैसेंजर कार्ड) दिया जाएगा। यदि आप खास खाद्य पदार्थ, पौध-सामग्री या जैव-उत्पाद ले जा रहे हों तो आपको अपने कार्ड पर "हाँ" चिह्नित करना होगा। निरीक्षण से पहले आपको ऐसी सभी वस्तुओं की घोषणा करनी होगी या उन्हें नष्ट करना होगा जिनसे जैव-सुरक्षा जोखिम हो सकता हो। यदि आप डाक के माध्यम से दीवाली उपहार पाने की आशा करते हों तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके परिवार के लोग और दोस्त डाक से प्रेषित सभी वस्तुओं की सही-सही सूची प्रस्तुत करें और डाक घोषणा लेबल या फॉर्म को भरें। यदि आपके उपहार के परिशोधन की जरूरत होगी तो आपको परिशोधन का व्यय वहन करने का विकल्प दिया जा सकता है और उपहार आपको भेजे जाने में कई सप्ताह लग जा सकते हैं। यदि परिशोधन का कोई विकल्प नहीं है तो उपहार को ऑस्ट्रेलिया में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाएगा और आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी।

1800 900 090**पर संपर्क करें**
(ऑस्ट्रेलिया में फ्री कॉल, अंग्रेजी में)

ऑस्ट्रेलिया से बाहर से +61 3 8318 6700

और अधिक जानकारी के लिए:
agriculture.gov.au/travelling-mailing

agriculture.gov.au

BIO2495_0516